

न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
(समक्ष— 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 238/2014
संस्थित दिनांक 17.04.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
ठीकरी, जिला बड़वानी

—अभियोगी

वि रू द्ध

राजाराम पिता घोलानिया भिलाला, आयु—40 वर्ष,
पेशा—मजदूरी, निवासी—ग्राम घोलानिया टर्नल,
थाना ठीकरी, जिला बड़वानी

—अभियुक्त

| |
|--|
| अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी |
| अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता — श्री विशाल कर्मा |

—: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 29-07-2016 को घोषित)

1— पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 10/2014 के आधार पर दिनांक 13.01.2014 को रात्रि 10:30 बजे ग्राम घोलानिया टर्नल से फरियादी धनसिंह के आधिपत्य से केबल वायर 4 एमएम, लगभग 50 मीटर लम्बाई, कीमत करीब 10,000/— रुपये, उसकी अनुमति के बिना बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी करने के कारण भादवि की धारा 379 के अपराध का आरोप विचारणीय है।

2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और अभियोजन साक्षी लल्लू (अ.सा.—4) अभियुक्त राजाराम को जानता है।

3— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.01.2014 को धनसिंह भील ने थाना ठीकरी पर आकर अभियुक्त राजाराम के विरुद्ध यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह आई.व्ही.आर.सी.एल. कम्पनी में चौकीदारी का काम करता है, कल रात 10:30 बजे वह और लल्लू ड्यूटी पर थे, तभी चीने टर्नल से आवाज आई तो उन्होंने देखा कि चोर वहां से भाग रहा था, उन्होंने बैटरी के उजाले में देखा तो लगभग 50 मीटर केबल वायर वहां नहीं दिखा, जो आरोपी चोरी करके ले गया। उसने और लल्लू ने सुपरवाईज़र सेवकराम को घटना बताई और थाने लेकर आए, वह केबल वायर को पहचान सकता है, जिसकी कीमत लगभग 10,000/— रुपये होगी। उक्त रिपोर्ट के

आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 10/2014 दर्ज किया जाकर विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसकी सूचना के आधार पर केबल वायर लगभग 50 मीटर अभियुक्त से जप्त कर बाद सम्पूर्ण विवेचना यह अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4— उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 379 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर अपराध आरोप की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध आरोप से इन्कार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया।

5— प्रकरण के युक्तियुक्त निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि :—

| क्र. | विचारणीय प्रश्न |
|------|--|
| अ | क्या दिनांक 13.01.2014 की रात्रि लगभग 10:30 बजे ग्राम घोलानिया टर्नल से धनसिंह के आधिपत्य से आई.व्ही.आर.सी.एल. कम्पनी के केबल वायर 4 एमएम, लगभग 50 मीटर लम्बे, कीमत करीब 10,000/— रुपये की चोरी हुई थी ? |
| ब | क्या उक्त केबल वायर की चोरी आरोपी राजाराम द्वारा की गई ? |

– विचारणीय प्रश्न क्रमांक—‘अ’ पर सकारण निष्कर्ष –

6— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन साक्षी लल्लू (अ.सा.—4) का कथन है कि लगभग 2 वर्ष पूर्व वह आई.व्ही.आर.सी.एल. कम्पनी में चौकीदारी का काम करता था, घटना रात्रि लगभग 7 से 7:30 बजे की है, कोई अज्ञात व्यक्ति केबल ले जा रहा था। रात्रि में अंधेरा होने के कारण वह उसे नहीं देख पाया और पहचान भी नहीं पाया। अभियोजन साक्षी सेवकराम (अ.सा.—3) का कथन है कि वर्ष 2008 में वह आई.व्ही.आर.सी.एल. कम्पनी में सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। वर्ष 2014 में घोलानिया टर्नल के पास से केबल वायर चोरी गया था। इस घटना की सूचना उसे रात्रिकालीन गार्ड ने दी थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी धनसिंह (अ.सा.—1) ने आई.व्ही.आर.सी.एल. कम्पनी के अधिकारी द्वारा चोरी की घटना बताए जाने के संबंध में कथन किए हैं वहीं अभियोजन साक्षी सहायक उप निरीक्षक मेहताबसिंह (अ.सा.—5) का भी कथन है कि दिनांक 14.01.2014 को थाना ठीकरी पर चौकीदार धनसिंह ने आई.व्ही.आर.सी.एल. कम्पनी से केबल वायर 4 एमएम चोरी होने के संबंध में प्रपी—1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके आधार पर उसने थाने पर अपराध क्रमांक 10/2014 दर्ज किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7— उक्त सभी साक्षियों को यह बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया है कि उक्त केबल वायर की चोरी आई.व्ही.आर.सी.एल. कम्पनी से नहीं हुई अथवा उक्त चोरी गया केबल वायर उक्त कम्पनी की सम्पत्ति नहीं थी। अतः प्रतिपरीक्षण के अभाव में यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी धनसिंह के आधिपत्य से उक्त आई.व्ही.आर.सी.एल. कम्पनी से लगभग 50 मीटर केबल वायर 4 एमएम कीमत लगभग 10,000/— रुपये चोरी हुआ था।

— विचारणीय प्रश्न कमांक—‘ब’ पर सकारण निष्कर्ष —

8— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन साक्षी लल्लू (अ.सा.—4) का कथन है कि उसे बाद में पता चला कि वह आरोपी राजाराम था और वह व धनसिंह उसे पकड़कर पुलिस थाना ठीकरी पर ले गए थे। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे लोगों ने बताया था कि आरोपी ने चोरी की है और लोगों के बताए अनुसार वह आरोपी का नाम बता रहा है। साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी उसके गांव के पास के गांव का है, इस कारण से वह उसे पहचानता है।

9— अनुसंधानकर्ता अभियोजन साक्षी सहायक उप निरीक्षक मेहताबसिंह (अ.सा.—5) का कथन है कि उसने आरोपी से पूछताछ की थी तो उसने केबल वायर अपने घर के पीछे बागड़ की आड़ में छिपाकर रखना बताया था, जिस पर से उसने मेमोरेण्डम प्रपी—2 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और आरोपी के मकान के पीछे से उक्त चोरी गई सम्पत्ति केबल वायर लगभग 50 मीटर 4 एमएम का प्रपी—4 के जप्ती पंचनामे अनुसार आरोपी से जप्त किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10— बचाव पक्ष की ओर से इस जप्तीकर्ता साक्षी से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्तशुदा केबल वायर जैसा केबल वायर बाजार में उपलब्ध हो जाता है और जप्तशुदा केबल की पहचान फरियादी से नहीं कराई थी और उसने आई.व्ही.आर.सी.एल. कम्पनी में कार्यरत डी. एस. रामकृष्णा से उक्त केबल की पहचान करवाई थी, लेकिन उसके कथन कथन लेखबद्ध नहीं किए गए, किन्तु साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इन्कार किया है कि अभियुक्त ने कोई चोरी नहीं की थी और उसके द्वारा असत्य रूप से विवेचना की गई है।

11— अभियोजन साक्षी पप्पू (अ.सा.—2) और सेवकराम (अ.सा.—3) आरोपी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उसके आधिपत्य से उक्त चोरी गई सम्पत्ति बरामद किए जाने के साक्षी हैं, लेकिन इन दोनों साक्षियों को न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी ने पुलिस को केबल वायर उसके घर से जप्त कराने की सूचना दी थी अथवा आरोपी के आधिपत्य से उक्त केबल वायर, जो कि चोरी गया था, पुलिस ने बरामद किए हैं। साक्षीगण ने आगे इस सुझाव से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि वे अभियुक्त को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहे हैं।

12— अभियोजन साक्षी धनसिंह (अ.सा.—1) ने भी अभियुक्त द्वारा उक्त केबल वायर चोरी किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं और न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि आवाज आने पर उन्होंने बैटरी से लाईट जलाकर देखा कि आरोपी उक्त वायर चोरी करके ले जा रहा था। यहां तक कि, इस साक्षी ने घटना की प्रपी—1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराने से भी स्पष्ट इन्कार किया है। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पप्पू (अ.सा.—2) एवं सेवकराम (अ.सा.—3) ने भी उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं।

13— अतः ऐसी स्थिति में जबकि, प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले फरियादी साक्षी धनसिंह (अ.सा.—1) ने आरोपी के विरुद्ध की गई उक्त रिपोर्ट प्रपी—1 थाने पर दर्ज करवाने से स्पष्ट इन्कार किया है तथा जप्ती पंचनामा प्रपी—4 के दोनों साक्षीगण पप्पू (अ.सा.—2) व सेवकराम (अ.सा.—3) ने आरोपी के आधिपत्य से उनके सामने चोरी गई सम्पत्ति बरामद होने अथवा चोरी गई सम्पत्ति बरामद करने के संबंध में कोई भी सूचना आरोपी द्वारा उनके सामने देने से इन्कार किया है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी धनसिंह के आधिपत्य से आई.व्ही.आर.सी.एल. कम्पनी की केबल वायर लगभग 50 मीटर, 4 एमएम, कीमत करीबन 10,000/— रुपये की चोरी की थी तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 के दृष्टांत—‘क’ की उपधारणा अभियोजन के पक्ष में लागू नहीं की जा सकती है।

14— अतः उपरोक्तानुसार समस्त साक्ष्य विवेचन के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। फलतः यह न्यायालय अभियुक्त राजाराम पिता घमरिया भिलाला, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम घोलानिया टर्नल, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी को संदेह का लाभ प्रदान कर, भादवि की धारा 379 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है।

15— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

28— दंप्रसं. की धारा 428 के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

29— प्रकरण में जप्तशुदा मशरूका 50 मीटर केबल वायर 4 एमएम कीमत लगभग 10,000/— रुपये, अपील अवधि उपरांत अपील न होने पर विधिवत आई.व्ही.आर.सी.एल. कम्पनी के सुपुर्द किया जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही /—
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

सही /—
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.